लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान,ग्वालियर

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)

भारत सरकार

निविदा प्रपत्र (नॉन-वेज प्रदाय)

निविदाकार का नाम :- ....

निविदाकार का पता :- ....

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :- 27.03.2023 दोपहर 03:00 बजे तक।

निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 27.03.2023 दोपहर 03:30 बजे तक।

फर्म का पंजीयन संख्या :- ....

पैन कार्ड क्र. / जी.एस.टी. क्र. :- ....

बयाना राशि :- रू- 81,000/- बैंक ड्राफ्ट नं ....दिनांक................ जारीकर्ता बैंक ....

(एमएसएमई एवं स्टार्ट अप के लिये प्रतिदाय एवं वैध प्रमाणपत्र जमा करने पर बयाना राशि निरंक है)

निविदा प्रपत्र

(माल की मात्रा एवं विशिष्ट विवरण)

अवधि 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक

क्र.	आयटम एवं विशिष्ट विवरण	मात्रा	दर (अंकों में)	दर(शब्दों में)
01	02	03	04	05
1	अण्डा (मुर्गी का 50-60 ग्राम प्रति) ताजा	1,00,000 नग		
2	ब्रायलर चिकन ड्रेस्ट (1.2 – 1.3 किलोप्रति)	9,000 कि.ग्रा.		
3	बकरा मीट (साफ 8-10 किलो प्रति बकरा)	1,500 कि.ग्रा.		
4	मछली (रोहू / कतला) (सिर एवं पेट साफ)	750 कि.ग्रा.		

नोट:-

1. कालम 4 व 5 निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिएएवं निविदा भरते समय दरे स्पष्ट लिखी जाना चाहिए।
2. ताजा नॉन वेज ही स्वीकार किया जावेगा।

:: घोषणा::

मैं / हम इस फार्म के कॉलम 4 एवं 5 में उपरोक्तानुसार भरी गई दरों पर निविदा प्रस्तुत करता हूँ / है। यदि यह निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं / हम/ मेरे/ हमारे द्वारा निविदा शर्तों के आधार पर माल सप्लाई करने का बचन देता हूँ / है।

मेरे / हमारे द्वारा संस्थान की मांग पर सप्लाई करने की असमर्थता की दशा में हमारे द्वारा जमा की गई बयाना राशि/ सुरक्षा निधि जप्त किये जाने हेतु तैयार हूँ / है।

दिनांकः- ....

हस्ताक्षर निविदाकार

नामः ....

फर्म का नाम ....

फर्म का पता ....

फोन नं.......................................

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान,ग्वालियर
(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)
भारत सरकार

निविदा शर्ते

1. निविदा प्रपत्र संस्थान की बेवसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसका कोई शुल्क देय नहीं है।
2. बयाना राशि रूपये 81,000/- का बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, ल.रा.शा.शि. संस्थान, ग्वालियर के पक्ष में देय निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।
3. निविदा में भाग लेने के लिये प्रात्रता शर्ते निम्नानुसार है तथा प्रपत्र के साथ दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य हैः-
    - पेनकार्ड एवं जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति।
    - फर्म का विगत 3वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि।
    - फर्म का संबंधित खाद्य सामग्री का खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम (FSSAI) के अंतर्गत पंजीयन/लाइसेंस की प्रतिलिपि ।
    - विगत 05 वर्षों में शासकीय या अर्द्धशासकीय विभागों द्वारा में सामग्री प्रदाय हेतु दिये गये प्रदाय आदेशों की प्रतिलिपि जिसका मान अनुमानित राशि का कम से कम 40% हो।
    - विगत 3 वर्षों में का टर्न ओवर का प्रमाण-पत्र तथा चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित फर्म का 3 वित्तीय वर्ष का औसत टर्नओवर अनुमानित राशि का कम से कम 30 % होना अनिवार्य है।
4. निविदा के लिफाफे को भरकर प्रस्तुत करें तथा उसके बांयी ओर कोने पर निविदा ....के लिये लिखा होना चाहिये तथा निविदाकार का पता भी दर्शाया जाना चाहिये।
5. निविदा में दर्शाई गई वस्तुओं की मात्राऐं केवल अनुमानित है तथा यह मात्रा 20 प्रतिशत घटाई या बढाई जा सकती है, जिसके लिये निविदाकार किसी भी क्षतिपूर्ति का पात्र नहीं होगा।
6. निविदा स्वीकृति हेतु निविदा प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन तक निविदा अभिलेख कुलसचिव कार्यालय में खुले रहेंगे।
7. निविदा में दर्शाई गई सभी वस्तुओं को संस्थान के भोजनालय स्टोर तक निविदाकार द्वारा स्वयं के खर्च पर पहुंचाना होगा।
8. माल प्रदाय करते समय डिलेवरी चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिना चालान के माल स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. सामग्री की आपूर्ति मांगकर्ता अधिकारी की मांग के अनुसार की जावेगी। किसी भी प्रकार का उल्लंघन करना अनुबंध को भंग करना माना जावेगा तथा जितने माल की मात्रा की मांग की जायेगी उतना ही पूरा माल एकमुश्त संस्थान के भोजनालय के भण्डार में प्रदाय करना होगा। आपूर्ति की गयी किसी भी वस्तु के वजन में कमी को आपूर्ति न करना माना जायेगा तथा अनुबंध की किसी भी शर्त का उललंघन करने पर अनुबंध की शर्तो के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।
10. सफल निविदाकार को सामग्री की अनुमानित मात्रा के मूल्य का 05 प्रतिशत की निष्पादन सुरक्षा निविदा स्वीकृति की दिनांक से 10 दिन के अंदर जमा करना होगा। निष्पादन सुरक्षा सावधि जमा रशीद (एफ.डी.आर.) के रूप में भी जमा की जा सकती है। निष्पादन सुरक्षा संतोषप्रद आपूर्ति के पश्चात ही वापिस की जायेगी। अनुबंधी की शर्त का उल्लंघन करने पर निष्पादन सुरक्षा को जप्त कर लिया जायेगा एवं उक्त हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहींहोगा।
11. संस्थान के कुलपति/कुलसचिव किसी एक अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने या किसी भी निविदा की संपूर्ण अथवा कुछ भाग को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत किये जाने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

12. शर्तो के साथ प्रस्तुत की जाने वाली निविदाऐं मान्य नहीं की जायेगी।

13. सफल निविदाकार को 100/-रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर अनुबंध के विधिवत पालन करने के लिये अनुबंध करना होगा। बिना अनुबंध किये व सुरक्षानिधि जमा करायें बिना निविदाकार का माल संस्थान में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

14. माल की सप्लाई भण्डारगृह पर सुबह 9:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं शाम को 3:00 बजे से 5:00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी।

15. माल की सप्लाई बगैर तौल एवं सूची/डिलीवरी चालान के स्वीकार नहीं की जायेगी तथा माल की निविदाकार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष तौल की जायेगी जो निविदाकार को मान्य होगी।

16. निविदाकार द्वारा माल प्रदाय करने हेतु किसी भी एक व्यक्ति को नामांकित करना होगा तथा उसका नाम कार्यालय में दर्ज कराना आवश्यक होगा।

17. ठेकेदार माल प्रदाय करने का मासिक बिल अपने छपे हुये बिल फार्म (अर्थात फर्म का नाम,रजिस्ट्रेशन नंबर जी.एस.टी. नंबर आदि सहित) दो प्रतियों में भुगतान हेतु माह समाप्त होने के 7 दिवस के अंदर कार्यालय में जमा करने होगें।

18. निविदा दिनांक 27.03.2023 को समय 03:00 बजे अपरान्ह तक संस्थान के भोजनालय कार्यालय में उपलब्ध निविदा बॉक्स में डाला जाना सुनिश्चित करें । उक्त समय के पश्चात् कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा खुलने का समय उसी दिन दोपहर 03:30 बजे अपरान्ह है,उक्त् दिनांक को कोई शासकीय अवकाश या किसी अन्य कार्यावश कार्यालय बंद रहने की स्थिति में दूसरे दिन उसी समय पर निविदा खोली जावेगी।

19. बिल की राशि पर आयकर,वस्तु एवं सेवा कर एवं शासन द्वारा समय-समय पर घोषितअन्य कर नियमानुसार काटे जायेंगे। निविदा में दिये जाने वाली दरें जी.एस.टी. अथवा अन्य कर सहित होगी।

20. स्वीकृत निविदा की संपूर्ण औपचारिकताऐं पूर्ण होने के पश्चात् ही सफल निविदाकार को प्रदाय आदेशजारी किया जावेगा। निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर भारतीय मध्यस्थ अधिनियम के अंतर्गत कुलपति के द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के द्वारा निराकरण किया जावेगा तथा उभय पक्षों पर मध्यस्थ के द्वारा पारित अवार्ड बाध्यकारी होगा एवं उसके विरुद्ध कोई भी पक्ष किसी भी न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने हेतु नहींजावेगा।

उपरोक्त दस्तावेजों की मूलप्रति मांगे जाने पर सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगी। गलत जानकारी/दस्तावेज पाये जाने पर बयाना(ई.एम.डी.) / सुरक्षा निधि राशि जप्तकर अन्य प्रशासकीय कार्यवाही की जावेगी।

कुलसचिव